कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (म0प्र0)

//विविध–आदेश//

(कार्य–विभाजन में संशोधन क्र0–1)

कमांक.....25...../ रीवा, दिनांक 09/जून/2023
दो–1–1/2000

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के फलस्वरूप द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड त्योंथर न्यायालय रिक्त हो जाने से मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1958 की0 धारा–15 व 21 (4) तथा मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) अधिनियम 2011 के परिप्रेक्ष्य में एवं दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–10 की उपधारा–2 एवं 3 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये पूर्व में प्रसारित सिविल एवं आपराधिक कार्य विभाजन आदेश कमांक 216/दो–1–1/2000 दिनांक 17.05.2023 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है, यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा :–

1. सरल कमांक 50 एवं 51 को निम्नानुसार स्थापित किया जाता है :–

क.	न्यायालय का प्रकार	प्रादेशिक अधिकार	वादों का प्रकार
50	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड त्योंथर	सिविल जिला रीवा की तहसील त्यौंथर	1– प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरण। 2 –समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड त्योंथर के **रिक्त न्यायालय से** संबंधित निष्पादन व विविध प्रकरण व आवेदन पत्र और उक्त न्यायालय के ऐसे सभी प्रकरण जो अपीलीय व पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किये जाये। 3– रूपये 01 से रूपये 05 लाख तक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उद्भत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण। 4. रूपये दो सौ मूल्य तक के लघु वाद स्वरूप के प्रकरण व उनसे उत्पन्न निष्पादन व विविध प्रकरण (धारा 9 द्वारा अधिकृत)
51	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड त्यौंथर (रिक्त न्यायालय)		

3. सरल कमांक 58 के पश्चात् अंकित नोट के कंडिका कमांक 05 को संशोधित किया जाकर निम्नानुसार स्थापित किया जाता है :–

5. विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम (शहरी क्षेत्र) रीवा के अवकाश अथवा अनुपस्थिति में उनके न्यायालय में लंबित समस्त आपराधिक प्रकरणों एवं समस्त सिविल प्रकरण (अन्य आवश्यक कार्य) के विचारण हेतु विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम (ग्रामीण क्षेत्र) रीवा को अधिकृत किया जाता है। इसी प्रकार विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम (ग्रामीण क्षेत्र) रीवा के अवकाश अथवा अनुपस्थिति में उनके न्यायालय में लंबित समस्त आपराधिक प्रकरणों एवं एवं समस्त सिविल प्रकरण (अन्य आवश्यक कार्य) के विचारण हेतु विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम (शहरी क्षेत्र) रीवा को अधिकृत किया जाता है। उक्त दोनों न्यायाधीशगण के अवकाश अथवा अनुपस्थिति पर उक्त न्यायालयों का आवश्यक कार्य मुख्यालय में उपस्थित वरिष्ठ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा किया जावेगा।

4. परिशिष्ट–अ की कंडिका 43, 44, 47 से 49 को विलोपित किया जाता है।

5. परिशिष्ट–अ की कंडिका 43, 47 एवं 48 को निम्नानुसार पढ़ा जावे :–

क्र0	न्यायालय का नाम	अनुपस्थिति में जो कार्य देखेगें
43	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड त्योंथर	1. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड त्योंथर 2. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिरमौर
47	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिरमौर	1. तृतीय व्य0 न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिरमौर 2. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिरमौर
48	तृतीय व्यवहार न्यायााधीश कनिष्ठ खण्ड सिरमौर	1. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिरमौर 2. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सिरमौर

शेष आदेश यथावत रहेगा।

sd/-

(सुबोध कुमार जैन)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

पृष्ठांकन कमांक...2270.../ रीवा, दिनांक 09/06/2022
दो–1–1/2000

<u>प्रतिलिपिः–</u>

1. सिविल जिला रीवा की समस्त न्यायालय रीवा।
2. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ त्योंथर/सिरमौर।
3. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा म0प्र0।
4. फाईलिंग काउंटर के समस्त कर्मचारी त्योंथर/सिरमौर।

   की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. जू0सि0ए0/डी.एस.ए., कम्प्यूटर अनुभाग रीवा की ओर वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हतु प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)